भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2295
29 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूक्रेन से वापस आए विद्यार्थी

2295. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्री एस.आर पार्थिबन:
श्रीमती संगीता आजाद:
श्री प्रताप सिम्हा:
डॉ.जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
श्री हनुमान बेनीवाल:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूक्रेन के कॉलेजों में मेडिकल अध्ययन के लिए नामांकित भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है और यूक्रेन से वापस आये/ वहां से निकाले गए छात्रों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे पाठ्यक्रम के किस चरण में हैं और छात्रों के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श से यूक्रेन से वापस आये भारतीय चिकित्सा विद्यार्थियों को भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों में समायोजित करने की कोई योजना बनायी है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन छात्रों के प्रवेश के लिए रियायत देने का क्या प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) यूक्रेन से लौटे छात्रों के रोजगार और आगे के अवसरों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;
(ङ) क्या सरकार यूक्रेन से प्राप्त उनकी डिग्री को स्वीकार करती है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से लौटे हैं।

विदेशी चिकित्सा संस्था विनियम, 2002 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता अपेक्षा में यह प्रावधान है कि मई 2018 या उसके बाद कोई भी भारतीय नागरिक/भारत के विदेशी नागरिक जो भारत के बाहर किसी भी चिकित्सा संस्था से प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं,

उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) उत्तीर्ण करनी होगी। एनईईटी के परिणाम को ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र के रूप में माना जाएगा और एनएमसी से अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, एमबीबीएस करने के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

विदेशी मेडिकल छात्र / स्नातक "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002" या "विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियम, 2021" के दायरे में आते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 और साथ ही विनियमों में मेडिकल छात्रों को किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान से भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने या स्थानांतरित करने के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं। एनएमसी द्वारा किसी भी विदेशी मेडिकल छात्र को किसी भी भारतीय चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय में स्थानांतरित करने या समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कीव में भारतीय दूतावास ने छात्रों को सुचारू तरीके से प्रतिलेख (ट्रांस्क्रिप्ट) और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए यूक्रेन में सभी संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ संवाद किया है। किसी भी संबंधित मुद्दे को हल करने में छात्रों की सहायता के लिए सभी विवरण दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

*****